**भारत सरकार**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 6374**

**उत्तर देने की तारीख : 02.04.2026**

**छोटे उद्यमों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए नीति**

**6374. श्री हरीश चंद्र मीना :**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार छोटे उद्यमों को बड़े कारपोरेट समूहों से अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए कोई विशेष नीति बनाने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजस्थान में कार्यरत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए वित्तीय स्थिरता और कारपोरेट अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कोई विशिष्ट योजनाएं और सहायता प्रदान की जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्य में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कितनी कंपनियों को दंडित किया गया है; और

(घ) उक्त दंडित कंपनियों में से कितनी छोटी स्थानीय इकाइयां हैं?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा करांदलाजे)**

(क) से (घ) : भारत सरकार ने एमएसएमई के लिए प्रतिस्पर्धा के एक समान अवसर उपलब्ध कराने और विशेष रूप से विलंबित भुगतान, अनुचित प्रतिस्पर्धा आदि जैसे क्षेत्रों में उनके हितों की रक्षा करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अनुसार, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसी) को प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने, बाजारों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने और इसे बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और भारत में बाजारों में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं।

इसके अलावा, छोटे उद्यमों का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं:

i. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006, यह अधिदेशित करता है कि खरीदारों को 45 दिनों के भीतर एमएसएमई को भुगतान करना होगा, अन्यथा चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा।

ii. सूक्ष्म और लघु उद्यमों को समय पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, वित्त अधिनियम, 2023, आयकर अधिनियम की धारा 43ख में संशोधन किया गया था ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 में निर्दिष्ट समय सीमा से परे किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम को निर्धारणकर्त्ता द्वारा देय कोई भी राशि केवल वास्तविक भुगतान पर कटौती के रूप में स्वीकार की जाएगी।

iii. व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेडस) आरबीआई-विनियमित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एमएसएमई को अपने व्यापार प्राप्य को वित्त में बदलने में सक्षम बनाता है जिससे उनकी नकदी उपलब्धता में सुधार होता है और बड़े खरीदारों पर निर्भरता कम होती है।

iv. चैंपियंस पोर्टल एक ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र है जिस पर अनुचित प्रथाओं सहित विभिन्न मुद्दों से संबंधित शिकायतें प्रस्तुत की जा सकती हैं।

राजस्थान राज्य सहित देश भर में एमएसएमई के लिए वित्तीय स्थिरता और अनुपालन में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस), आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष, एमएसएमई चैंपियंस स्कीम, एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैम्प), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), आदि लागू करता है। एमएसएमई को वित्तीय सहायता के लिए इन पहलों के तहत कार्यनिष्पादन का विवरण निम्नानुसार है:

| सीजीएस- अनुमोदित गारंटी: वर्ष 2000 में इसकी स्थापना के बाद से दिनांक 28.02.2026 तक | | |
|---|---|---|
| स्थान | अनुमोदित गारंटियों की संख्या | अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में) |
| अखिल भारत | 1,39,39,040 | 13,16,741 |
| राजस्थान | 6,19,410 | 59,092 |

| वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|
| स्थान | सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या | मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रुपए में) | अनुमानित रोजगार |
| अखिल भारत | 4,11,627 | 13,184.51 | 32,93,016 |
| राजस्थान | 10,002 | 489.06 | 80,016 |

| आत्म-निर्भर भारत कोष : इसकी स्थापना से लेकर दिनांक 28.02.2026 तक | | |
|---|---|---|
| स्थान | निवेश करने वाली कंपनियों की संख्या | निवेशित निधि (करोड़ रुपए में) |
| अखिल भारत | 731 | 17,438.1 |
| राजस्थान | 9 | 275.7 |

एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता के संवर्धन हेतु, मंत्रालय ने एमएसएमई-सस्टेनेबल- जीरो दोष जीरो प्रभाव (जेड) प्रमाणन स्कीम शुरू की है। जेड प्रमाणित एमएसएमई का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| जेड प्रमाणित एमएसएमई लॉन्च के बाद से (दिनांक 28.04.2022 तक) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| स्थान | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 (आज तक की स्थिति के अनुसार) |
| अखिल भारत | 3,143 | 1,76,341 | 1,04,976 | 2,42,679 |
| राजस्थान | 94 | 8299 | 8683 | 11213 |

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दंडित कंपनियों की संख्या के बारे में जानकारी कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा रखी जाती है।

*****